भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2536
दिनांक 04 अगस्त, 2026 / 13 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीआरबी डेटा का संशोधन

†2536. डॉ. अमर सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय दंड संहिता, 1860 से भारतीय न्याय संहिता, 2023 में परिवर्तन के बाद राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के डेटा संग्रह प्रारूपों और रिपोर्टिंग टेम्पलेट्स में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय न्याय संहिता के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए अपराध आँकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग की पद्धति में संशोधन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अपराध डेटा की सटीकता, प्रामाणिकता और एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एनसीआरबी द्वारा अपनाए गए उपाय क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का अपराध विश्लेषण, नीतिगत सहायता और अनुसंधान सहित डेटा संग्रह और प्रकाशन से आगे बढ़कर एनसीआरबी की भूमिका का विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष तीन सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, जिनका नाम 'भारत में अपराध', 'भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं आत्महत्यायें' तथा 'भारत में जेल सांख्यिकी' है। इन प्रकाशनों में एक कैलेंडर वर्ष से संबंधित आँकड़ों का संकलन किया जाता है। अतः संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही आँकड़ों के संकलन की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है। वर्तमान में उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2024 से संबंधित हैं।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2536, दिनांक 04.08.2026

ब्यूरो द्वारा विकसित एक समर्पित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के माध्यम से आँकड़ों का संग्रहण डिजिटल रूप से किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के माध्यम से आँकड़ों का संग्रहण तथा उनका समेकन/संकलन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न चरणों में किया जाता है, और तत्पश्चात ब्यूरो द्वारा उनका संकलन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित सत्यापन तंत्र के माध्यम से विभिन्न स्तरों एवं चरणों पर व्यापक रूप से सत्यापन/प्रमाणीकरण किया जाता है। यदि आँकड़ों में किसी प्रकार की विसंगति/असंगति पाई जाती है, तो उन्हें पुनः प्रमाणीकरण हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वापस भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, आँकड़ों के विस्तृत प्रपत्रों के अनुरूप एकरूप संग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आँकड़ा संकलन संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

आँकड़ों में संशोधन अथवा त्रुटि-सुधार की स्थिति में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा डेटाबेस में अद्यतन किया जाता है। 'भारत में अपराध' प्रतिवेदन में आँकड़ों को सम्मिलित किए जाने हेतु राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो/अपराध अन्वेषण विभाग के प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अथवा पुलिस महानिरीक्षक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, अथवा पुलिस महानिदेशक द्वारा आँकड़ों की शुद्धता की स्वीकृति स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने वाला पत्र स्वीकार किया जाता है। ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

ब्यूरो ने भारतीय न्याय संहिता तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुरूप अपने आँकड़ा-संग्रहण प्रारूपों को अद्यतन किया है। इसके तहत, 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान इन संहिताओं के क्रियान्वयन से संबंधित आँकड़ों का संकलन किया गया तथा उन्हें ब्यूरो के वार्षिक प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में सम्मिलित किया गया है। उक्त प्रकाशन में अपराधों की श्रेणियों का वर्गीकरण भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

(घ): अपराध संबंधी सांख्यिकीय आँकड़ों के संग्रहण, संकलन एवं प्रकाशन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय की विभिन्न नीतिगत पहलों के कार्यान्वयन एवं उनमें सहयोग करने का कार्य भी कर रहा है, जिसमें अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस), राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली, आपराधिक प्रक्रिया पहचान प्रणाली, आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली तथा संबंधित अनुप्रयोग सम्मिलित हैं, जो कि अपराध एवं आपराधिक न्याय से संबंधित डेटाबेसों को अनुसंधान हेतु उपलब्ध कराने में , विभिन्न प्रणालियों के मध्य अंतर-संचालनीयता बनाये रखने में , डेटा-आधारित निर्णय और नीति निर्माण में सहायक है।
